भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3670

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बच्चों में मोटापा

3670. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत बच्चों के मोटापे के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा बच्चों में मोटापे की समस्या को कम करने और इसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार के पास बच्चों के मोटापे और उनके सीखने और संज्ञानात्मक विकास पर इसके प्रभाव के बारे में कोई आंकड़ा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन (ऊंचाई के अनुरूप वजन) की व्याप्तता 3.4 प्रतिशत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की व्याप्तता के संबंध में रेंज उपलब्ध कराते हैं, जो क्षेत्रों और देशों में भिन्न-भिन्न है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति का कार्यान्वयन करता है जिसमें देश भर में मोटापे सहित बच्चों में पोषण पर ध्यान देने के लिए कार्यकलाप शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **ईट राइट मूवमेंट** का उद्देश्य भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा शुरू किए गए बच्चों सहित नागरिकों को स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने से उनके स्वास्थ्य और सेहत में सुधार करने में सक्षम बनाना है और जन जागरूकता पैदा करना है क्योंकि नमक, चीनी और वसा की उच्च खाद्य पदार्थों की नियमित और अत्यधिक खपत मोटापे की ओर ले जाती है।

- **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम** स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए लागू किया गया है जिसमें पहले छह महीनों के लिए स्तनपान की शीघ्र शुरुआत करने और केवल स्तनपान कराना शामिल है, इसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार क्रिया पर परामर्श शामिल है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत** जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, वर्ष में दो बार आंगनवाड़ी केन्द्रों में जांच की जाती है और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के 4 विकारों- जन्म के समय दोष, रोग, कमियां और विकास में देरी, 32 सामान्य स्वास्थ्य दशाओं में शीघ्र पहचान, उपचार और प्रबंधन के लिए वर्ष में एक बार जांच की जाती है।
- **किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक,** राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत पोषण, गैर-संचारी रोगों और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने सहित प्रमुख किशोर स्वास्थ्य मुद्दों पर परामर्श सेवाएं प्रदान करके किशोरों (10-19 वर्ष) की सहायता करते हैं।
- **स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम (एसएच एंड डब्ल्यूपी)** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देकर उनकी वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ अभिसरण से पोषण सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा पोषण सहित मातृ एवं बाल परिचर्या के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।
- **नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या** गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, सहायक नर्सधात्रियों, सीएचओ तथा आशाकर्मियों जैसी **क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता** पोषण, इसके प्रबंधन तथा स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।

*****